न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 118/2017

1. मीरा देवी बेवा उमाराम (फौत, वारिस अपीलांट न. 2 ता 9) नाम तर्क
2. ठाकरराम
3. लालचन्द
4. मीयाराम
5. पालाराम
6. दयाराम
7. भगवानाराम

(2 से 7) पुत्रगण उमाराम जाति जाट साकिन सिधुवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8. गीतादेवी पत्नी सरवन पुत्री उमाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
9. बिमला पत्नी धर्मवीर पुत्री उमाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
10. [illegible]राम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
11. वा[illegible] देवी पत्नी जयमलराम पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
12. प्यारी देवी पत्नी गंगाजल पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
13. गुड्डी पत्नी देवीलाल पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
14. सजना पत्नी साहबराम पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
15. सरला देवी पत्नी औमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
16. अशोक कुमार पुत्र औमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
17. मोहित पुत्र औमप्रकाश (लावल्द फौत वारिस अपीलांट नं. 15ए 16) नाम तर्क
18. कृष्ण पुत्र रूघाराम पुत्र रावताराम (फौत) जरिये वारिस 18/1 धुव पुत्र कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रीतु पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी सिधुवाला।
19. लालचन्द
20. बलवन्त
21. जगदीश

(19 से 21) पिसरान रूघाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।

[signature] 6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

22. मनीशाराम | पिसरान रूघाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
23. कासीराम |

24. गुड्डी पत्नी रामकुमार पुत्री रूघाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।

25. संगीता बेवा अर्जनराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।

26. अभिषेक | पिसरान अर्जनराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
27. विवेक |

28. शान्ति देवी पत्नी सुलतान जाति जाट (फौत वारिस अपीलांट नं. 29 ता 35) नाम तर्क

29. भादराम पुत्र सुलतान (मृतक)

29/1 श्रृंगारी पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।

29/2 सुमन पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी सिधुवाला तहसील सूरतगढ।

30. राजो देवी पत्नी ताराराम पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।

[illegible] मीरा पत्नी प्रभुराम पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।

32. [illegible] देवी बेवा कृष्णलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।

33. [illegible]ना (सीमा) पुत्री कृष्णलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।

34. पूनम पुत्री कृष्णलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।

35. कन्हैया (अरविन्द) पुत्र कृष्णलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता ब्रांच जल संसाधन खण्ड प्रथम सूरतगढ़।
2. स्टेट बैंक राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 10.03.2005

6/11/17

प्रशासक [illegible] अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थिति:-

श्री किशनलाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबालसिंह, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :- 06.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट का पेश कर चक 1 एस.पी.डी. के म.नं. 66/324 के कि.नं. 11 से 13 , 16 से 25, म.नं. 66/325 के कि.नं. 5 की 10 बिस्वा कुल 13.10 बीघा मे से 12.10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किये जाने तथा वाद पत्र की मद सं. 9 में वर्णित भूमि वादी सं. 1 से 9 के नाम से 6.05 बीघा, 10 से 18 के नाम से 3.02-1/2 बीघा एवं 19 से 36 के नाम 3.02-1/2 बीघा भूमि का खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें।

वाद पेश होने पर प्रतिवादी स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश करने पर वाद खारिज करने का निवेदन किया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित 7 तनकीयात कायम की गई एवं 10.03.2005 को वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश होने पर अपील दिनांक 02.11.2007 को खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में नजरसानी प्रा.पत्र पेश होने पर दिनांक 21.07.2016 को नजरसानी प्रा. पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 26.09.2016 को निगरानी स्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2017 को नजरसानी स्वीकार कर अपील दिनांक 22.09.2017 को नये नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये।

6/11/17

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि वादीगण अपीलांट के कब्जा काश्त में हैं। अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात का निर्णय गलत किया है। अपीलांट्स द्वारा अपने वाद को पूर्ण रूप से साक्ष्य से साबित किया था। फिर भी अधी. न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अधी. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही विवेचन एवं अवलोकन नहीं किया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 19.03.2005 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा पेशकर घोषणात्मक दावा उनकी कृषि भूमि अवाप्त नहीं होने के बावजूद अवाप्तशुदा मानकर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दी जो जरिये घोषणात्मक वाद पुनः अपने नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा जो नहीं दिया गया। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त करने एवं उनकी खातेदारी भूमि उनके नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर 6 तनकीयात कायम की जिनमें 1 से 3 वादी द्वारा साबित करनी थी एवं 4 से 6 तनकीयात प्रतिवादीगण द्वारा साबित की जानी थी जो अधी. न्यायालय के विवेचन अनुसार तनकी सं. 1 से 3 तक की तनकीयात वादीगण साबित करने में असफल रहने से वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई एवं तनकी स. 4 से 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होकर दावा खारिज किया गया

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जिसकी अपील इस न्यायालय में पेश हुई जिसका निर्णय दिनांक 2.11.2007 में अधी. न्यायालय द्वारा किये गये तनकीय विनिश्चय से सहमत होकर अपील अपीलांट खारिज की गई। अपीलांट द्वारा इस निर्णय के सम्बन्ध में रिव्यू प्रा.पत्र पेश किया गया जिसमें रेस्पों. द्वारा अपना पक्ष पेश किये बगैर सीधे ही प्रा.पत्र पर दिनांक 21.07.2016 को आदेश पारित हुआ कि आज प्रा.पत्र पेश हुआ। प्रा.पत्र आठ साल बाद पेश हुआ है तथा पुनरावलोकन का आधार नहीं है। अतः दरख्वास्त खारिज की जाती है। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं. टी.ए. 6590/2016 ठाकरराम बनाम अधिशाषी अभियन्ता पेश हुई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल के एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 26.09.2016 में विवेचन हुआ है कि हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने नजरसानी प्रा.पत्र की पुश्त पर आदेश लिखते हुए, प्रा.पत्र आठ वर्ष पश्चात प्रस्तुत होना अंकित करते हुए नजरसानी प्रा. पत्र को खारिज कर दिया जबकि इसी प्रा.पत्र के उपर लिपिकीय टिप्पणी इस प्रकार अंकित है— " 12.02.2008 राजस्व अपील प्राधिकारी आज राजकीय कार्य में व्यस्त है। श्री भागीरथ बिश्नोई एडवोकेट ने रिव्यू प्रा.पत्र पेश किया बाद रिपोर्ट सम्बन्धित अपील के साथ पेश हो।" इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किये बिना नजरसानी प्रा.पत्र को आठ वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया जाना मानते हुए अति संक्षिप्त आदेश से निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है तथा प्रा.पत्र की पुश्त पर इस प्रकार के संक्षिप्त आदेश से नजरसानी प्रा.पत्र को खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर आंशिक स्वीकार की जाकर निगरानीन आदेश दिनांक 21.07.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर करने

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के उपरांत पक्षकारों को सुनकर नजरसानी प्रा.पत्र को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करें।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में अपीलांट का रिव्यु प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया जिसकी पालना में अपीलांट अभिभाषक एवं विभागीय सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता तथा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए जिसमें अपीलांट द्वारा Review प्रा.पत्र द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 2.11.2007 अपास्त कर निम्न आधारों पर अपील स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि अधी. न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड पर लिये बगैर एकतरफा दस्तावेजों का विवेचन कर तनकीयात का निर्णय गलत किया है। अतः न्यायहित में सही निर्णय हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 107(d) के प्रावधान अनुसार फार्म सं. 3 के साथ दस्तावेजों की सत्यप्रति पेश की है जो रिकार्ड पर लेकर सीपीसी की धारा 107(1) के प्रावधानुसार नये सिरे से तनकीयात निर्णित करने का निवेदन किया जिसका राजकीय अभिभाषक द्वारा इस आधार पर विरोध किया कि अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 41 नियम 27 के तहत ही पेश किये जा सकते हैं जो नहीं किये हैं पर वकील अपीलांट द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 का प्रा.पत्र मय दस्तावेजों की फेहरिस्त पेश किया जिसकी प्रति राजकीय अभिभाषक को दी जिसपर उभयपक्ष अभिभाषकगण को सुनने के पश्चात जो भी दस्तावेज पेश किये वे सरकारी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिया है। सीपीसी के आदेश 41नियम 27(b)(2) के प्रावधानानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।

राजकीय अभिभाषक द्वारा विभागीय सहायक अभियन्ता द्वारा प्रकरण हाजा से सम्बन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने की अनुमति चाही जिसका वकील अपीलांट द्वारा रिकार्ड पर लेने का विरोध किया। न्यायहित में विभागीय तथ्यात्मक

6/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रिपोर्ट सही निर्णय पर पहुंचने के लिए help हो सकती है। अतः इसे पेश करने एवं रिकार्ड पर लेने की अनुमति दी जाती है।

सिलसिलेवार तनकीयात विश्लेषण हेतु उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा जाहिर किया कि तनकी सं. 1 आया कि विवादित भूमि सम्वत् 2023 से 2026 में वादीगण के पूर्व में रावता, उमा, सुलतान, दौला की खातेदारी थी। ——वादी। राजकीय अभिभाषक का अधी. न्यायालय का विवेचन कि वादी ने इस तनकी की पुष्टि में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024–2026 , सम्वत् 2035–2038 पेश की है जिसके अनुसार 1 एस.पी.डी. के म.नं. 66/324 का कि.नं. 1 से 24 वादीगण के पूर्वज रावताराम वगैरा की खातेदारी दर्ज है। वकील प्रतिवादी ने कहा कि गिरदावरी एक दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। इस आधार पर वादीगण भूमि के खातेदार कृषक है यह सिद्ध नहीं होता। अतः तनकी वादीगण/अपीलांट के विरुद्ध विनिश्चय के विरूद्ध अपीलांट अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि तहसील रायसिंहनगर में वक्त भूमि आवंटित गिरदावरी ही base राजस्व रिकार्ड था। जमाबन्दी बनी ही नहीं थी। अतः गिरदावरी के इन्द्राज को न मानकर अधी. न्यायालय ने भूल की है। साथ ही अपीलांट अभिभाषक ने फार्म सं. 3 के साथ पेश नक्शा विनिमय पत्र के इन्द्राजात नक्शा विनिमय पत्र में कॉलम नं. 2 में चक 1 एस.पी.डी. कॉलम नं. 2 में खातेदार के नाम के रूप में रावता, उमा, सुलतान, दौला पिसरान मामराज ब.हि.ब. निस्फ रामलाल पुत्र भूरा जाट सा. सिघुवाला खातेदार, कॉलम नं. 5 में मु.नं. 66/324 व 66/325 , कॉलम नं. 6 में तफसील किला कि.नं. 1, 2 से 8, 10, 11, 20 से 23 की कॉलम नं. 7 में 24 बीघा एवं मु.नं. 66/325 की कि.नं. 5 कॉलम नं. 7 में 1 बीघा कुल 25 बीघा, कॉलम नं. 8 में LL , कॉलम नं. 10 में चकनिहवा स्कीम में आने के कारण, कॉलम नं. 11 में 14 एस.पी.डी., कॉलम नं 12 में मु.नं. 91/354, कॉलम नं. 13 में तफसील किला कि.नं. 3 से 8, 13 से 18, 23, कॉलम नं. 14 में 12.10 बीघा, कॉलम नं. 15 में S.L , कॉलम नं. 19 में नोट:– कुल स्कीम में आए रकबे में से रामलाल अपने हिस्से 12.10 बीघा का तबादला

6/1/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

लेना चाहता है। तबादले के लिये तजबीज रकबा जोहड़ पायतन व अन्य व्यक्ति को अलोट नहीं है मण्डी एरिया की 8 मिल की परिधि में नहीं आता है। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। हस्ताक्षर पटवारी हल्का।" बखूबी साबित करता है कि विवादित आराजी सम्वत् 2023 से 2036 में वादीगण/अपीलांट की खातेदारी थी। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से अधी. न्यायालय के तनकी विनिश्चय को संशोधित कर वादीगण/अपीलांट के पक्ष में की जाती है।

तनकी सं. 2 आया कि विवादित भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में जारी अवार्ड सं. 146 दिनांक 10.08.78 के अनुसार वादीगण के पूर्वजों की 1/2 खातेदारी भूमि राज घोषित नहीं की गई एवं वादीगण के पूर्वजों रावता वगैरह का अधिपत्य समाप्त नहीं किया गया मात्र 1/2 भाग के हिस्सेदार रामलाल का अधिपत्य समाप्त करते हुए उसके पिता को रकबा राज घोषित किया गया।—वादी। राजकीय अभिभाषक द्वारा अधी. न्यायालय का विवेचन कि अपीलांट की विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा अवार्ड सं. 146 दिनांक 10.07.78 द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया है को इस आधार पर सही नहीं माना कि सन्दर्भ आदेश की फोटो प्रति अप्रमाणित है। अतः साक्ष्य में सिद्ध नहीं माना का विनिश्चय विधि सम्मत् नहीं माना है। इस निर्णय के विरुद्ध वादीगण/अपीलांट के अभिभाषक द्वारा फार्म नं. 3 के साथ सन्दर्भ आदेश की सत्यापित प्रति पेश की जिसका Text है कि " राजस्थान सरकार , कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन रा0न0यो0 सूरतगढ़ अवार्ड सं. 146 दिनांक 10.07.78 आज यह मिसल पेश हुई। सायलान श्री रावता, उमा, सुलतान, दौला पि0 मामराज 1/2 रामलाल पुत्र भूरा 1/2 कौम जाट साकिन सिधुवाला के मुस्तरका खाते का रकबा एसपीडी मु.नं. 66/324= 24 बीघा, 66/325= 1 बीघा इस प्रकार कुली 25 बीघा खातेदारीरकबा घनेडिया एस्केप आर.डी. 186.500 सूरतगढ़ ब्रांच के नीचे अवाप्त हुआ है। उक्त अवाप्तशुदा रकबे में से श्री रावता वगैरह अपने हिस्से की आधी भूमि का तबादला अथवा मुआवजा लेना नहीं चाहते- अपनी अवाप्तशुदा भूमि ही रखना चाहते हैं तथा श्री रामलाल हिस्सेदार को उसकी इच्छानुसार उसके

हिस्से की भूमि का तबादला अन्य स्थान पर किया जा चुका है। इसलिए उक्त भूमि मु.नं. 66/324 के कि.नं. 1 से 10, 14, 25 की 12.10 बीघा भूमि पर श्री रामलाल का कोई अधिपत्य नहीं रहता– उसे रकबा राज घोषित किया जाता है तथा श्री रावता वगैरा के हिस्से की भूमि को कायम रखने की स्वीकृति दी जाती है। फसल के नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं रावता वगैरा की होगी। सरकार से किसी किस्म का मुआवजा पाने के हकदार नहीं होंगे जिसका अवार्ड जारी किया जाता है। इसकी सूचना उपनिवेशन आयुक्त महोदय तथा तत्संबन्धित सभी को दी जावे। आज दिनांक 10.07.78 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।" इस आदेश से स्पष्ट रूप से साबित एवं प्रमाणित है कि अपीलांट के हिस्से की भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है। अतः अधी. न्यायालय के तनकी के निर्णय को परिवर्तित कर वादीगण/अपीलांट के के पक्ष में विनिश्चय किया जाता है।

तनकी सं. 3 आया कि वादीगण के पूर्वजों रावता आदि को विवादित भूमि का अथवा मुआवजा नहीं दिया गया। राजकीय अभिभाषक द्वारा अधी. न्यायालय के निर्णय को सही माना क्योंकि इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने फार्म सं. 3 के साथ प्रस्तुत जो दिनांक 11.03.2016 को पेश किया जिसकी इबारत है कि कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सूरतगढ ब्रांच जल संसाधन खण्ड प्रथम सूरतगढ क्रमांक राजस्व/7805 दिनांक 11.03.16 तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ। विषयः– मि.नं. 43/16 स्टेट बनाम अरविन्द आदि मि.नं. 44/16 स्टेट बनाम ठाकरराम, मि.नं. 46/16 स्टेट बनाम लालचन्द। सन्दर्भः– आपका पत्र कमांक राजस्व/धारा–22/2016/283 दिनांक 22.02.2016, 284 दिनांक 22.02.2016, 285 दिनांक 22.02.2016, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व 7598 दिनांक 08.03.2016, 7599 दिनांक 08.03.2016, 7601 दिनांक 08.03.2016 के कम में सूरतगढ़ शाखा की आर.डी. 186.500 एल. पर निर्मित एस्केप की अवाप्तशुदा भूमि पर अवैध काश्त करने वाले काश्तकारों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत अप्रार्थी कृषक पालाराम– ठाकरराम पुत्र उमाराम द्वारा प्रस्तु किये गये बिन्दुओं एवं दस्तावेज मुताबिक अवार्ड नं. 146 दिनांक 10.07.1978 द्वारा

राजस्व [illegible] श्रीगंगानगर (राज.)
6/4/17

वर्णित भूमि मुरब्बा नं. 66/324 में अंकित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि सामण रखने की स्वीकृति के मध्य वर्णित रकबा को अवैध काश्त श्रेणी में नहीं माना जाए।" इस विभागीय पत्र से यह साबित एवं प्रमाणित है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि का मुआवजा नहीं लिया है। अतः तनकी के अधी. न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन कर वादीगण के पक्ष में विनिश्चय किया जाता है।

तनकी सं. 4 आया सार्वजनिक प्रयोनार्थ भूमि अवाप्त होने के कारण धारा 63 आर.टी.ए. के तहत वादीगण के अधिकार समाप्त हुए। — प्रतिवादीगण। राजकीय अभिभाषक द्वारा अधी. न्यायालय के विनिश्चय को सही ठहराया क्योंकि विवादित आराजी नामान्तरण सं. 5 के द्वारा विभाग के नाम से दर्ज होने से अपीलांट के अधिकार समाप्त हो गये हैं। इस विनिश्चय के विरुद्ध अपीलांट के अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि नामान्तरणकरण एक Fiscal proceeding है जिसमें विभाग के हक– हकूक तय नहीं होते के साथ नामान्तरणकरण सं. 5 राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध ही नहीं हैए जिसकी प्रतियां चाहने पर न केवल अपितु पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 में उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया साथ ही विभागीय तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 में जो स्थिति स्पष्ट की है कि "कार्यालय सहायक अभियन्ता सूरतगढ़ ब्रांच जल संसाधन उपखण्ड सूरतगढ़. प्रार्थना पत्र, श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर।, अपील संख्या 118/2017 अनवानी मीरादेवी आदि बनाम अधिशाषी अभियन्ता में विभागीय पक्ष रखने के सम्बन्ध रखने के सम्बन्ध में।,महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में दर्ज प्रकरण सं. 33/2004 वादीया मीरा देवी आदि द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 10.03.2005 को खारिज किया जाकर प्रकरण विभाग के पक्ष में निर्णित हुआ जिसकी अपील मीरा आदि द्वारा अपील सं. 29/2005 श्रीमान जी के न्यायालय में पेश हुई जो दिनांक 02.11.2007 को खारिज की गई जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 26.09.2016 को निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर

6/11/17

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निगरानीधीन आदेश दिनांक 21.07.2016 निरस्त किया गया था तथा प्रकरण श्रीमान को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रस्तुत नजरसानी प्रा.पत्र को दर्ज कर पक्षकारों को सुनकर नजरसानी प्रा.पत्र का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की पालना मे श्रीमान जी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर राजकीय अभिभाषक के साथ–साथ विभागीय पक्ष रखने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभागीय पक्ष रखते हुए उपस्थित होकर निवेदन है कि विवादित आराजी गांव 1 एस.पी.डी. के खतौनी सं. 1 नया पुराना 2 सम्पूर्ण रकबा गै0मु0 एस्कैप दर्ज होकर विभाग के नाम दर्ज है। जमाबन्दी की छायाप्रति पेश कर रहें हैं। उपरोक्त रकबा जिस नामान्तरणकरण के जरिये विभाग के नाम दर्ज हुआ उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को तहरीर जारी की गई जिसमें उनके द्वारा लिखित में अवगत कराया कि नामान्तरणकरण करने का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से सत्यापित प्रति नहीं दी जा सकती। न्यायालय में हाजिर होकर श्रीमान जी के पूछने पर स्पष्ट है कि अवार्ड सं. 146 दिनांक 10.07.78 द्वारा वादग्रस्त आराजी 25 बीघा में आधे हिस्से के आवंटन आदेश जारी होकर आधे हिस्से के खातेदार रामलाल पुत्र भूराराम को इसके तबादले में अन्यत्र भूमि दे दी गई है एवं आधे हिस्से के खातेदार रावता, उमा, सुलतान, डोला पि0 मामराज को सागन/वही भूमि रखने का अवार्ड इस शर्त पर पारित किया गया है कि अगर नहर के एस्कैप में जब कभी भी पानी छोडा जाता है एवं नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इन आदेश से खातेदारों की होगी तथा इसके लिये खातेदार मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं होगें। इसी अनुरूप विभागीय अधिशाषी अभियन्ता सूरतगढ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम सूरतगढ के पत्र कमांक 7805 दिनांक 11.03.2016 द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को इस आशय की तहरीर जारी की गई है कि अवार्ड सं. 146 में वर्णित भूमि मु.नं. 66/324 मे उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि सागन रखने की स्वीकृति के मध्य वर्णित रकबा को अवैध काश्त श्रेणी में नहीं माना जाए।" से सिद्ध है कि वादीगण के काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत Extinguish नहीं। अतः अपील

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय की तनकी विनिश्चय में परिवर्तन कर बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5 आया वाद पत्र मियाद बाहर है या क्षेत्राधिकार में है। —प्रतिवादी। अधी. न्यायालय द्वारा तनकी विवादित आराजी का कब्जा प्रतिवादी के पास होने से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की है। जिसे राजकीय अभिभाषक द्वारा सही माना है जबकि अपीलांट अभिभाषक द्वारा फार्म सं. 3 के साथ प्रस्तुत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के राजस्थान उपनिवेशन की धारा 22 के नोटिस 174/09 दिनांक 9.10.09, 181/09 दिनांक 09.10.09, 95/12 दिनांक 24.12.12, 96/12 दिनांक 24.12.12, 175/12 दिनांक 12.10.12, 176/12 दिनांक 12.10.12, 107/2013 दिनांक 25.03.13, 139/13 दिनांक 25.03.13, 368/13 दिनांक 30.09.13, 339/13 दिनांक 30.09.13, 74/15 दिनांक 30.03.15, 89/15 दिनांक 18.09.15 अनुसार कब्जा अपीलांट का है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन कर बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 6 आया धारा 80 सीपीसी का नोटिस जो की प्रावधान है के अभाव में वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। यह तनकी कानूनी है जो अधी. न्यायालय द्वारा बहक वादी निर्णित की है बाबत राजकीय अभिभाषक एवं अपीलांट सहमत है। अतः इस तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी में दिये गये निर्देशों , तनकीयात को नये सिरे निर्णय पश्चात विभागीय सहायक अभियन्ता द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 के अनुसार अवार्ड सं. 146 दिनांक 10.07.78 के द्वारा वादग्रस्त 25 बीघा में 1/2 हिस्से रामलाल पुत्र भूराराम की खातेदारी भूमि अवाप्त होकर आधे हिस्से के खातेदार राजा, उमा, सुलतान, दौला पिसरान मामराज को सागण(वही) भूमि रखने का सशर्त अवार्ड पारित हुआ है कि अगर नहर के एस्केप में जब कभी भी पानी छोड़ा जाता है एवं नुकसान होता है तो जिम्मेवारी खातेदार की होगी तथा खातेदार मुआवजे की मांग नहीं करेगा। यह तथ्यात्मक रिपोर्ट अवार्ड सं. 146 द्वारा अपीलांट

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की भूमि अवाप्त नहीं हुई की पुष्टि करती है तथा जिस नामान्तरणकरण सं. 5 द्वारा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना जाहिर किया है वह अपीलांट एवं रेस्पो. द्वारा पेश करने में असफल रहे। अतः जमाबन्दी के इन्द्राज अवार्ड सं. 146 के तहत अवाप्तशुदा 25 बीघा के आधे हिस्से तक ही Legal माने जा सकते हैं शेष delete योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2005 अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अवार्ड सं. 146 दिनांक 10.07.78 द्वारा मु.नं. 66/324 के कि.नं. 1 से 10 की 10 बीघा, 14, 15 की 2 बीघा, मु.नं. 66/325 की 5 की 10 बिस्वा को छोड़कर शेष रकबा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 एस.पी.डी. के प.नं. 66/324 के कि.नं. 1 से 25 की 24 बीघा, प.नं. 66/325 का कि.नं. 5 की 1 बीघा कुल रकबा 25 बीघा के आधे हिस्से की 12.10 बीघा भूमि अपीलांट के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अवार्ड रहित भूमि में संशोधित शीर्षक अनुसार अपीलांट का जो हिस्सा अपीलांट नं. 2 से 9 को 6.05 बीघा में ब.हि.ब. व 3.02–1/2 बीघा रकबा में अपीलांट सं. 10 से 14 को 5/8 व अपीलांट सं. 15 व 16 को 1/8 व अपीलांट 18 से 24 को 1/8 व अपीलांट सं. 25, 26 व 27 को 1/8 व शेष 3.02–1/2 बीघा रकबा में अपीलांट नं. 29, 30, 31 को 3/4 हिस्सा व अपीलांट 32 से 35 को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ विवादित भूमि के सम्बन्ध में यह शर्त यथावत रहेगी कि फसल के नुकसान की जिम्मेवारी स्वयं अपीलांट की होगी तथा सरकार से किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/11/17

(प्रेमप्रकाश परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

(औ.1 कल 36, उत्तर दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. मीरा देवी बेवा उमाराम (फौत, वारिस अपीलांट नं. 2 ता 9) नाम तर्क
2. ठाकरराम
3. लालचन्द
4. भीयाराम
5. पालाराम
6. दयाराम
7. भगवानाराम

(2 से 7) पुत्रगण उमाराम जाति जाट साकिन सिधुवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8. गीतादेवी पत्नी सरवन पुत्री उमाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
9. बिमला पत्नी धर्मवीर पुत्री उमाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
10. गोपीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
11. दाखी देवी पत्नी जयमलराम पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
12. पारी देवी पत्नी गंगाजल पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
13. गुड्डी पत्नी देवीलाल पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
14. सजना पत्नी साहबराम पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
15. सरला देवी पत्नी औमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
16. अशोक कुमार पुत्र औमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
17. मोहित पुत्र औमप्रकाश (लावल्द फौत वारिस अपीलांट नं. 15ए 16) नाम तर्क
18. कृष्ण पुत्र रुघाराम पुत्र रावताराम (फौत) जरिये वारिस 18/1 ध्रुव पुत्र कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रीतु पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी सिधुवाला।

6/11/12

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

19. लालचन्द
20. बलवन्त | पिसरान रूघाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
21. जगदीश
22. गणेशाराम | पिसरान रूघाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
23. काशीराम
24. गुडी पत्नी रामकुमार पुत्री रूघाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
25. संगीता बेवा अर्जनराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
26. अभिषेक | पिसरान अर्जनराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
27. विवेक
28. शान्ति देवी पत्नी सुलतान जाति जाट (फौत वारिस अपीलांट नं. 29 ता 35) नाम तर्क
29. मादराम पुत्र सुलतान (मृतक)
29/1 श्रृंगारी पत्नी मादरराम जाति जाट निवासी सिधुवाला।
29/2 सुमन पुत्री मादरराम जाति जाट निवासी सिधुवाला तहसील सूरतगढ।
30. राजो देवी पत्नी तारूराम पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।
31. मीरा पत्नी प्रभुराम पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।
32. गुड्डी देवी बेवा कृष्णलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।
33. सुलोचना (सोचा) पुत्री कृष्णलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।
34. पुनम पुत्री कृष्णलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।
35. कन्हैया (अरविन्द) पुत्र कृष्णलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी सिधुवाला।

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता बांध जल संसाधन खण्ड प्रथम सूरतगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

—रेस्पोडेन्ट्स

6/4/17

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील संख्या 118/2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरतगढ़ मुवर्ख 10 माह 03 सन 2005

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 06 माह 11 सन् 2017 रुबरू मुझ हाजरी श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री इकबालसिंह राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2005 अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अवार्ड सं. 146 दिनांक 10.07.78 द्वारा मु.नं. 66/324 के कि.नं. 1 से 10 की 10 बीघा, 14, 15 की 2 बीघा, मु.नं. 66/325 की 5 की 10 बिस्वा को छोडकर शेष रकबा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 एस. पी.डी. के प.नं. 66/324 के कि.नं. 1 से 25 की 24 बीघा, प.नं. 66/325 का कि.नं. 5 की 1 बीघा कुल रकबा 25 बीघा के आधे हिस्से की 12.10 बीघा भूमि अपीलांट के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अवाप्त रहित भूमि में संशोधित शीर्षक अनुसार अपीलांट का जो हिस्सा अपीलांट नं. 2 से 9 को 6.05 बीघा में ब.हि.ब. व 3.02–1/2 बीघा रकबा में अपीलांट सं. 10 से 14 को 5/8 व अपीलांट सं. 15 व 16 को 1/8 व अपीलांट 18 से 24 को 1/8 व अपीलांट सं. 25, 26 व 27 को 1/8 व शेष 3.02–1/2 बीघा रकबा में अपीलांट नं. 29, 30, 31 को 3/4 हिस्सा व अपीलांट 32 से 35 को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ विवादित भूमि के सम्बन्ध में यह शर्त यथावत रहेगी कि फसल के नुकसान की जिम्मेवारी स्वयं अपीलांट की होगी तथा सरकार से किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं होगें। (खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग ..X ....) रुपये. X .. — अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.11.2017 जारी किया गया।

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर